रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042021-226376
CG-DL-E-05042021-226376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2021/चैत्र 15, 1943
No. 200] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2021/CHAITRA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2021

सं. 20/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 251(अ).—जहां कि सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्ष 3907 20 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/20/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 सितम्बर, 2020 जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;

(ii) विषयगत देशों से प्रश्नगत उत्पाद की यहां भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक	ग्रुप का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	सउदी अरब	कोई भी	सदरा केमिकल कंपनी	150.06	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	सउदी अरब	कोई भी	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी	235.02	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
3	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता हो उनसे भिन्न कोई भी देश	सउदी अरब	कोई भी	235.02	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
4	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	कोई भी	101.81	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
5.	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता हो उनसे भिन्न कोई भी देश	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	101.81	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/147/2020–टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2021

No. 20/2021 -Customs (ADD)

G.S.R. 251(E).—Whereas, in the matter of "Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff sub-heading 3907 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the Saudi Arabia and United Arab Emirates (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/20/2019-DGTR, dated the 1st September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st September, 2020, has come to the conclusion that-

(i) the product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the Domestic Industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Sub-heading	Description of group	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	Saudi Arabia	Any	Sadara Chemical Company	150.06	USD	MT
2	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	Saudi Arabia	Any	Any other than at Sl. No 1 above	235.02	USD	MT
3	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Saudi Arabia	Any	235.02	USD	MT
4	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	UAE	Any	Any	101.81	USD	MT
5.	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	Any country other than country attracting anti-dumping duty	UAE	Any	101.81	USD	MT

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/147/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.05 22:07:20 +05'30'